सं. डब्लू. 11042/34/2014- एनबीए
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
निर्मल भारत अभियान
****

12वां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003, दिनांक
फोन नं. 011-24364427 फैक्सः 24361062/24364869
31 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/ ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की अपनी इच्छा की घोषणा की है। इस संबंध में एनबीए के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य के अधिकारियों को अनेक पत्र लिखे गए हैं।

मंत्रालय, वर्ष 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की प्रक्रिया में है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि योजना के एक भाग के रूप में आपके राज्य द्वारा उठाए गए कदमों/ राज्य की स्थिति निम्नांकित मुद्दों पर सूचना शामिल करते हुए, इस मंत्रालय से जुड़े मुद्दों को समाहित करके 4-5 पृष्ठ के पत्र/रिपोर्ट में दिनांक 7/8/2014 तक भेजी जाए।

क) आईएचएचएल (वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों) का निर्माण (कवरेज की गति में तेजी लाने की योजना)।
ख) आईईसी संबंधी गतिविधियाँ- राज्य एवं जिला स्तरों की योजना- वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 पर केन्द्रित एक गतिविधि।
ग) आईपीसी संबंधी गतिविधियाँ- वर्ष 2013-14 की गतिविधियाँ और 2014-15 और 2015-16 के लिए योजना बनाना।
घ) ब्लॉक स्तर के समन्वयकर्त्ताओं और स्वच्छता दूत का नियोजन।
ङ) स्कूलों और ऑगनवाडी में स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ और उनका रख-रखाव।
च) सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण और उनका प्रचालन और रख-रखाव।
छ) एसएलडब्लूएम गतिविधियां।
ज) इन्दिरा आवास योजना और अन्य आवासीय स्कीमों के बीच तालमेल।
झ) स्वच्छता के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियाँ।
ञ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी।
ट) अन्तर- विभागीय तालमेल के माध्यम से पहल करना।
ठ) निधियों का उपयोग, निधि प्रबंधन और लेखा परीक्षा की स्थिति।
ड) अन्य कोई मुद्दा/ उत्कृष्ट कार्य प्रणालियाँ।

भवदीय,

(सुजाय मजुमदार)
निदेशक, एनबीए

प्रतिः

1. सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों के राज्य एनबीए समन्वयकर्त्ता।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता के प्रधान निजी सचिव।